**कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पत्रांक– 2154 /अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 12 , 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

**विषय :** अमरोहा–कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 55 वृक्षों **(संशोधित 374 वृक्षों)** के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/09/42/2017/एफसी/53, दि0 21.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय को वापस उपलब्ध करायी गयी थी। वांछित सूचनायें पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में प्रभावित 55 वृक्षों के स्थान पर संशोधित 374 वृक्षों के पातन का उल्लेख करते हुए बिन्दु–6 से 10 तक की सूचनाओं का निराकरण वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1684/14–1, दि0 22.11.2017 द्वारा तथा बिन्दु–1 से 5 तक की सूचनाओं का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा के पत्रांक–1710/14–1, दिनांक 06.01.2018 द्वारा करके संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त दोनों पत्रों व संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

**संलग्नक–प्रस्ताव की एक प्रति सहित।**

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पत्रांक– 2154 / उक्तदिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
4– परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–18, सी एण्ड डी एस उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।